रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 308] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 1974/आषाढ 21, 1896

No. 308] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 1974/ASADHA 21, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

19 AUG

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 12th July 1974

S.O. 433(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 1625, dated the 18th July, 1959, read with the Orders of the Government of India in the Ministry of Commerce Nos. S.O. 2366, dated the 1st July, 1964, S.O. 1838, dated the 3rd June, 1965, S.O. 2389, dated the 17th July, 1967 and S.O. 2607, dated the 15th July, 1968, and in the late Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) No. S.O. 2839, dated the 11th July, 1969, and in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2377, dated the 14th July, 1970, and S.O. No. 432(E), dated the 16th June, 1972, the management of the industrial undertaking known as the Model Mills Nagpur Limited, Nagpur, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order first mentioned above, for a period up to and inclusive of the 17th July, 1974;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) as amended by the Industries (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 17th July, 1975.

[No. F.28013/70/74-NTC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1974

का० आ० 433 (अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1625 तारीख 18 जुलाई, 1959 के साथ पठित वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 2366 तारीख 1 जुलाई, 1964; का० आ० 1838, तारीख 3 जून, 1965; का० आ० 2389 तारीख 17 जुलाई, 1967 और का० आ० 2607 तारीख 15 जुलाई, 1968 और भूतपूर्व विदेश व्यापार और पूर्ति (विदेश व्यापार विभाग) के आदेश सं० का० आ० 2839 तारीख 11 जुलाई, 1969 और भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० 2377 तारीख 14 जुलाई 1970 और का० आ० सं० 432 (ई) तारीख 16 जून, 1972 द्वारा माडेल मिल्स नागपुर लिमिटेड, नागपुर के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधतंत्र ऐसे प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा जिसे ऊपर प्रथम वर्णित आदेश में निर्दिष्ट किया गया है, 17 जुलाई, 1974 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधतंत्र उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा एक और वर्ष की अवधि के लिए चालू रहना चाहिए ;

यतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन आर्डिनेंस, 1974 (1974 का 6) द्वारा यथा संशोधित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि ऊपर अन्तिम वर्णित आदेश का प्रभाव 17 जुलाई, 1975 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए चालू रहेगा ।

[सं० फा० 28013/70/74—एन० टी० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974